डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2001—भाद्र 23, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक 741/1538/सा.प्र.वि./2001/2.—श्रीमती अंजू सिंह बघेल, भा. प्र. से. (1993) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंन्दोबस्त, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2001

1. क्रमांक 729/2380/सा.प्र.वि./2.4/2001/लीव/आई ए एस.—श्री के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 27-8-2001 से 22-9-2001 कुल 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री चक्रवर्ती को अवकाश काल में, वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जिस प्रकार अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से वापस लौटने पर डॉ. के. के. चक्रवर्ती, को प्रमुख सचिव, वर्न एवं संस्कृति विभाग में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

से पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. चक्रवर्ती यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने कार्य पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2001

क्रमांक 787/2380/सा.प्र.वि./2.4/2001/लीव/आईएएस.—श्री के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 728/2380/साप्रवि/2001/2.4, दिनांक 24-8-2001 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2001

क्रमांक 826/1603/सा.प्र.वि./01/लीव/आईएएस.—डॉ. श्रीमती मनिन्दर कौर (आईएएस) अपर कलेक्टर एवं परियोजना प्रशासक, अंबिकापुर (आईटीडीबी) को दिनांक 11 जून, 2001 से 135 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. डॉ. श्रीमती मनिन्दर कौर, अपर कलेक्टर को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से वापस लौटने पर श्रीमती कौर को अपर कलेक्टर एवं परियोजना प्रशासक, अंबिकापुर में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. श्रीमती कौर यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 828/2198/सा.प्र.वि./2.4/2001.—श्री व्ही. के. कूपर, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह-सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 10 सितम्बर 2001 से 14 सितम्बर 2001 (कुल 5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही साथ दिनांक 8,9 एवं 15, 16 सितम्बर 2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह-सचिव, वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री कपूर को वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. इस विभाग के आदेश दिनांक 19-6-2001 को स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

5. श्री कपूर के अवकाश काल में श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, शिक्षा विभाग, अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह-सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर का अतिरिक्त कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 899/2104/सा.प्र.वि./01/2.—श्री आर. पी. जैन, तत्कालीन कलेक्टर, महासमुंद वर्तमान में उप-सचिव, वन को इस विभाग के आदेश दिनांक 15-6-2001 में अंकित अर्जित अवकाश को निरस्त कर श्री जैन को दिनांक 6-8-2001 से 17-8-2001 (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री जैन को वेतन व अन्य भत्ता उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ-2-5/2001/1-8/स्था.—श्री हेमन्त कुमार पहारे (रा. प्र. से.) अवर सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उप-सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ-5-5/खाद्य/2001/29.—उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) की धारा 10 उप धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सन्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	जिला उपभोक्ता फोरम
1.	श्रीमती उषा शर्मा पति स्व. श्री के. पी. शर्मा, कैलाश नगर, दन्तेवाड़ा (छ. ग.).	जिला उपभोक्ता फोरम दन्तेवाड़ा (छ. ग.).
2.	श्रीमती सांत्वना शुक्ला पति श्री रवि शुक्ला, महाराष्ट्र भवन के सामने, चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.).	जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर (छ. ग.).

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2001

क्रमांक एफ-5-5/खाद्य/2001/29.—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-54/2000 दिनांक 19 जनवरी 2001 के साथ पठित मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 के नियम 6 के उप-नियम 5 के खण्ड (ङ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रेमचंद श्रीमाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, कवर्धा को चयन समिति की अनुशंसा पर, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटाती है.

Raipur, the 14th August 2001

No. F 5-5/Food/2001/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule 5(E) of rule 6 of the Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 read with Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department Government of Chhattisgarh, Raipur Notification No. F 1-54/2000 dated 19-1-2001, the State Government, hereby removes immediately Shri Premchand Shrimal, Member District Consumer Forum, Kawardha, on the recommendation of selection committee, from the post of Member of District Consumer Forum Kawardha.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2001

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-5/खाद्य/2001/29.—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-54/2000 दिनांक 19 जनवरी 2001 के साथ पठित मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 के उप-नियम 5 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-5/खाद्य/2001/29 दिनांक 14-8-2001 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रेमचन्द श्रीमाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, कवर्धा को. समिति की अनुशंसा पर, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य पद से, तत्काल प्रभाव से हटाती है.

Raipur, the 14th August 2001

Amended Notification

No. F 5-5/Food/2001/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule 5 (E) of rule 3 of the Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 read with Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department Government of Chhattisgarh, Raipur and in supersession of this department Notification No. F 5-5/Food/2001/29 dated 14-8-2001 the State Government hereby removes immediately Shri Premchand Shrimal, Member District Consumer forum, Kawardha, on the recommendation of committee, from the post of Member of District Consumer Forum Kawardha.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. तोमर, संयुक्त सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ 10-7/13/2001.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा

अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उप-धारा (1) के (क), (ख), (ग), (घ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पदेन सदस्यों के रूप में पद, नाम एवं नामनिर्दिष्ट करता है और उनके नाम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

(क) आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़
(ख) संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
(ग) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
(घ) आयुक्त, आदिमजाति विकास, छत्तीसगढ़
(च) श्री एल. एस. मरावी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़
(छ) संचालक, खेल तथा युवक कल्याण, छत्तीसगढ़
(ज) कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(झ) श्रीमती गीता तिवारी, प्राचार्य, शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज, रायपुर.
(ञ) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट उप-सचिव.

2. उपरोक्त नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2001

क्रमांक 1459/1213/वा.उ./2001.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. चांपा के बायलर क्रमांक एम. पी./4300 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 31-7-2001 से दिनांक 28-10-2001 तक के लिए छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचाने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलर-ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. म. प्र. बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2001

क्रमांक 1882/224/ज.सं./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छत्तीसगढ़) का पदनाम परिवर्तित कर अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक रायपुर (छत्तीसगढ़) करता है.

2. यह परिवर्तन वित्त विभाग के परामर्श अनुसार किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. वर्मा, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 17/327/नियम/वित्त/IV/2001 रायपुर, दिनांक 30 जून, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़.

विषय :—"स्व-वाहन-सुविधा योजना" के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गए ऋण, वसूली व लेखा संधारण के संबंध में अनुवर्ती निर्देश.

संदर्भ :—छत्तीसगढ़ शासन का परिपत्र क्रमांक 325 दिनांक 28-5-2001 एवं अधिसूचना क्रमांक 327 दिनांक 28-5-2001 के पैरा 7 के संदर्भ में.

राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्य में अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता लाने की दृष्टि से संदर्भित अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 1 जून, 2001 से "स्व-वाहन-सुविधा योजना" प्रारंभ की है.

उक्त योजना के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों को वाहन क्रय करने के लिये ऋण उपलब्ध कराने, उसकी वसूली व लेखा संधारण के लिये निम्नानुसार अनुवर्ती निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. **योजना में विकल्प एवं आवेदन—**
अधिसूचना के पैरा 3.1 में वर्णित अधिकारियों को वाहन ऋण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा योजना को स्वीकार करने के लिए निम्नानुसार विकल्प देना होगा :—

(i) ऐसे अधिकारी, जिनके पास कोई निजी मोटर वाहन नहीं है, उन्हें योजना का चयन करने के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में विकल्प देना होगा.

(ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने पूर्व में शासन से ऋण प्राप्त कर वाहन खरीदा है तथा वे योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र-2 में विकल्प देना होगा.

(iii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वयं के साधनों अथवा किसी अन्य संस्था से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किया है तथा वे इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र-3 में विकल्प देना होगा.

(iv) वाहन ऋण हेतु आवेदन वित्त संहिता के प्रपत्र-27 पर प्रस्तुत किया जाएगा.

(v) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आवेदन व विकल्प अपने विभागाध्यक्ष को एवं यदि वे स्वयं विभागाध्यक्ष हैं तो आवेदन सीधे मूल प्रशासकीय विभाग को दे सकेंगे. राज्य सेवा के अधिकारी आवेदन व विकल्प विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने मूल प्रशासकीय विभाग को भेजेंगे.

(vi) विभागाध्यक्ष संबंधित आवेदन व विकल्प प्राप्त होने पर संलग्न प्रपत्र-4 में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव स्वीकृतकर्ता प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेंगे.

2. **स्वीकृति—**

(i) इस योजना के अन्तर्गत नये वाहन ऋण की स्वीकृति के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं विकल्प प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग वाहन की कीमत अथवा तीन लाख रुपये, जो भी कम हो स्वीकृत कर सकेंगे. परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की स्वीकृति अधिकारी द्वारा वाहन क्रय करने की सूचना प्राप्त होने, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं अनुबंध निष्पादित करने के अलावा शासकीय वाहन को समर्पित करने की तिथि से दी जा सकेगी.

(ii) जिन अधिकारियों द्वारा पूर्व से ही शासकीय ऋण प्राप्त कर वाहन खरीदे गये हैं उन्हें परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की स्वीकृति उनके द्वारा शासकीय वाहन समर्पित करने, विकल्प देने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत किया जा सकेगा.

(iii) जिन अधिकारियों के स्वयं के वाहन हैं अथवा जिन्होंने अन्य संस्थाओं, बैंक आदि, से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किये हैं, उन्हें योजना में शामिल होने का विकल्प देने एवं शासकीय वाहन समर्पित करने के दिनांक से केवल परिचालन व्यय की पात्रता नियम 8.4 के अन्तर्गत होगा. परन्तु इस योजना के लागू होने के बाद शासन की सहमति से बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें भी पैरा 2 (i) के अनुसार निश्चित व्यय की भी पात्रता होगी.

(iv) निलंबन अवधि में भी परिचालन व्यय देय नहीं होगा.

(v) अधिकारी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक अवकाश का अथवा बाह्य प्रशिक्षण का उपभोग करने पर परिचालन व्यय को उक्त अवधि में अनुपातिक रूप से कम किया जाकर भुगतान किया जायेगा.

(vi) केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में परिचालन व्यय/निश्चित व्यय का भुगतान स्थगित रहेगा. अधिकारी द्वारा राज्य शासन की सेवा में लौटने पर पुनः योजना के अनुसार परिचालन व्यय/निश्चित व्यय भुगतान की पात्रता होगी.

(vii) राज्य के भीतर अथवा सार्वजनिक उपक्रम/निकायों में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में अधिकारी द्वारा नियम 10.1 के अनुसार इस योजना के वरण का उल्लेख प्रतिनियुक्ति शर्तों में किया जायेगा एवं वह योजना के अनुसार प्रतिनियुक्त विभाग से परिचालन व्यय/निश्चित व्यय प्राप्त करने का पात्र होगा.

3. वाहन ऋण से संबंधित वित्त संहिता भाग-1 के अन्य उपबंध इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण पर भी लागू होंगे केवल वाहन ऋण की राशि की निर्धारित सीमा संबंधी प्रावधान तीन लाख रुपये तक स्वीकृत करने की सीमा तक शिथिल माने जायेंगे. स्वीकृति संबंधी आदेश प्रारूप संलग्न प्रपत्र-5 के अनुसार जारी किया जायेगा. मासिक परिचालन व्यय में पेट्रोल/डीजल की निर्धारित सीमा तक कुल देय राशि क्रय मूल्य की वर्तमान दर के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी. पेट्रोल की दर खाद्य नियंत्रक द्वारा रायपुर व बिलासपुर शहर के लिये प्रमाणित की जायेगी.

4. **परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय का भुगतान—**

(i) मरम्मत व्यय की राशि अप्रैल माह में अथवा प्रतिमाह के अनुपात से देने की पात्रता होगी. ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा अप्रैल माह के बाद वाहन क्रय किये हैं अथवा योजना में शामिल हुये हैं, उन्हें संबंधित माह से ही अनुपातिक राशि देय होगी.

(ii) वाहन के बीमा की राशि नियम 6.3.2 के अनुसार वाहन की कीमत का 2.5 प्रतिशत या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत किए गए प्रीमियम व्हाउचर के आधार पर देय होगी.

(iii) वाहन का अवक्षयन के लिये शासन द्वारा नियम 6.3.1 के अनुसार वाहन की क्रय कीमत का 10 प्रतिशत (बिना वैकल्पिक उपकरणों के) अथवा 30 हजार रुपये, जो भी कम हो देय होगा जिसे नगद में न दिया जाकर मूल ऋण एवं ब्याज वापिसी की मासिक किस्तों में समायोजित किया जायेगा.

(iv) पैरा 1.2 एवं 1.3 के अनुसार योजना में शामिल वाहन के मामलों में अवक्षयन राशि की गणना वाहन क्रय के दिनांक से उस अवधि तक की जाएगी जब क्रय दिनांक से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाए.

5. ऋण एवं ब्याज वसूली—

(i) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकारी के वेतन देयक से वित्त संहिता भाग एक में विद्यमान उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

मूल किस्त एवं ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाकर कुल वार्षिक किस्त को प्रथमतः अवक्षयन भत्ता जिन अधिकारियों को देय है उसकी ऋण किस्त से समायोजित कर शेष राशि मासिक किस्तों में वसूली योग्य होगी.

(ii) जिन अधिकारियों से सेवा में रहते हुये कुल ऋण एवं ब्याज की वसूली नहीं हो सके उनके ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज उनके सेवानिवृत्ति उपदान अथवा उनकी सहमति से सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अन्य स्वत्वों से की जायेगी.

(iii) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम की वापसी हेतु मूल ऋण एवं ब्याज को पूर्व में मोटर गाड़ियां के लिए दिये जाने अग्रिम की तरह ही वर्गीकृत कर वसूली की जाएगी, परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु प्रयुक्त अनुसूची में शीर्ष के नीचे "शासकीय अधिकारियों को POCS योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली" अथवा "शासकीय अधिकारियों को POCS योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज की वसूली" यथा स्थिति अंकित की जाएगी.

6. अतिशेष वाहनों का निराकरण—

(i) "स्व-वाहन-सुविधा योजना" में शामिल अधिकारियों को योजना में शामिल होने के दिनांक से उन्हें आवंटित शासकीय वाहनों को समर्पित करना होगा. यदि वाहन की हालत ठीक है, तो विभागाध्यक्ष ऐसे वाहनों को मैदानी वाहनों से बदल कर सबसे पुराने वाहन को अधीक्षक, स्टेट गैरेज को समर्पित करेंगे.

(ii) अधीक्षक, स्टेट गैरेज द्वारा ऐसे निप्रयोज्य होने वाले वाहनों को दो माह के भीतर नीलाम कर राशि कोषालय में जमा कराई जायेगी.

(iii) वाहन चालक के पद पर कार्यरत अतिशेष वाहन चालकों को विभाग में समायोजित न होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित किया जायेगा.

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों को विभिन्न विभागों के मैदानी कार्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर संबंधित विभाग में संविलयन हेतु भेजा जा सकेगा या वाहन चालकों को अन्यत्र समकक्ष पदों पर योग्यतानुसार पदस्थ किया जा सकेगा.

(v) जब तक ऐसे वाहन चालकों का अन्य विभाग में संविलयन कर पदस्थापना नहीं की जाती तब तक संबंधित विभाग द्वारा इनके वेतन भुगतान की व्यवस्था की जायेगी.

(vi) अधीक्षक, स्टेट गैरेज द्वारा अतिशेष वाहनों के अपलेखन, नीलामी व शासकीय खजाने में जमा राशि का लेखा रखने के लिये प्रपत्र-6 में एक पंजी संधारित की जायेगी. जिसके आधार पर मासिक प्रपत्र आगामी माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को भेजा जायेगा.

7. **अन्य—**

7.1 योजना में शामिल अधिकारी को अपना वाहन हर समय चालू हालत में रखना होगा जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक संलग्न प्रपत्र-7 में प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा.

(i) इस योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन प्रशासकीय विभाग की मांग के आधार पर वित्त विभाग द्वारा पृथक् से उपलब्ध कराया जायेगा.

(ii) इस योजना के तहत धारित वाहन से अधिकारी नियम 6.2.3 के अन्तर्गत मील भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे परन्तु दौरे की अवधि में (12 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर) प्रतिमाह परिचालन व्यय के रूप में देय पेट्रोल/डीजल की राशि अनुपातिक रूप से कम की जायेगी.

संलग्न :—उपरोक्तानुसार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, संयुक्त सचिव.

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 1.i)

प्रपत्र-1

मैं . . . .(नाम व पदनाम) एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001 दिनांक 28-5-2001 द्वारा लागू "स्व-वाहन-सुविधा योजना" के अन्तर्गत मोटर वाहन क्रय हेतु शासकीय ऋण सुविधा तथा पात्रतानुसार परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु विकल्प देता/देती हूं.

मैं, एतद्द्वारा वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक . . . . शासन को समर्पित करने तथा योजना की कण्डिका 5.1 के शर्तों के अधीन कंडिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता/करती हूं.

साक्षी :—

नाम . . . .

. . . .

पता . . . .

. . . .

स्थान

दिनांक

आवेदक

हस्ताक्षर . . . .

नाम एवं पद . . . .

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 1.ii)

प्रपत्र-2

मैं . . . . .एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं एक मोटर वाहन . . . . (पंजीयन क्रमांक एवं मेक) का धारक हूं. जिसका क्रय . . . .(विभाग का नाम) के आदेश क्रमांक . . . . .दिनांक . . . . द्वारा स्वीकृत शासकीय मोटर कार अग्रिम रु. . . . . से किया गया है. वाहन का मूल्य रु. . . . . .है.

मैं, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001/दिनांक 28-5-2001 के तहत स्वीकृत वाहन अग्रिम के मूलधन/ब्याज की मासिक किश्तों में निश्चित व्यय के समायोजन की शर्तों के अधीन दिनांक . . . . से परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु विकल्प देता/देती हूं.

मैं, वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक . . . . को शासन को समर्पित करने तथा कण्डिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता/करती हूं.

हस्ताक्षर

नाम व पद . . . .

. . . .

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 1.iii)

प्रपत्र-3

मैं . . . . .मोटर वाहन . . . . का धारक हूं जिसका पंजीयन क्रमांक . . . . .है, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001 दिनांक 28-5-2001 के शर्तों के अनुसार दिनांक . . . . से परिचालन व्यय प्राप्त करने का विकल्प देता/देती हूं.

मैं, वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक . . . . .शासन को समर्पित करने तथा कंडिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता/करती हूं.

साक्षी :—
हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पता . . . .
दिनांक . . . .

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
दिनांक . . . .

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 1.vi)

प्रपत्र-4

(विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .द्वारा 'स्व-वाहन-सुविधा योजना' के अनुसार वाहन अग्रिम हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में दी गई जानकारियां कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सही है.

उनके द्वारा 'स्व-वाहन-सुविधा योजना' के अन्तर्गत वाहन अग्रिम हेतु प्रस्तुत किया गया यह प्रथम आवेदन है.

अथवा

पूर्व में उन्हें इस योजना के अन्तर्गत दिनांक . . . . को अग्रिम स्वीकृत किया गया था, जिसकी ब्याज सहित वसूली हो चुकी है, तथा अग्रिम के आहरण से छ: वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है.

अत: आवेदक 'स्व-वाहन-सुविधा योजना' के अन्तर्गत पुन: वाहन क्रय हेतु वाहन अग्रिम की पात्रता रखता /रखती है.

नोट :—जो लागू न हो उसे काट देवें

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम . . . .
पदनाम . . . .

प्रपत्र-5

छत्तीसगढ़ शासन
विभाग

क्रमांक
प्रति,

. . . .
. . . .
. . . .

विषय:— 'स्व-वाहन-सुविधा योजना' के अंतर्गत मोटर वाहन क्रय अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्ष . . . .

वित्त संहिता भाग-1 के नियम 251-264 में वर्णित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी "स्व-वित्तीय योजना" संबंधी नियम जो अधिसूचना क्रमांक 327 दिनांक 28-5-2001 एवं परिपत्र क्रमांक 325 दिनांक 28-5-2001 के द्वारा प्रकाशित है एवं उक्त नियमों के अन्तर्गत जारी अनुवर्ती निर्देश वित्त विभाग क्रमांक 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 के अनुसार श्री . . . . पद . . . . .को मोटर वाहन क्रय करने के लिये रुपये . . . .(. . . .) क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है.

2. अग्रिम पर 11% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देना होगा.

3. अग्रिम की वसूली ब्याज की राशि को शामिल करते हुए रुपये . . . . .प्रतिमाह मूल एवं ब्याज मिलाकर (. . . . .) किश्तों (अधिकतम 120) में की जावेगी.

4. अग्रिम स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार है :—
   (i) अग्रिम केवल अधिकृत विक्रेता से नई वाहन क्रय करने हेतु दिया जायेगा.

   (ii) अग्रिम की राशि के आहरण के पूर्व वाहन विक्रेता से लिखित में यह आश्वासन प्राप्त किया जाय कि वह वाहन का प्रदाय एक माह की अवधि में करेगा. राशि आहरण के पूर्व प्रपत्र 16 में करारनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

   (iii) राशि आहरण की वैधता दिनांक . . . . .तक होगी. वाहन का क्रय, राशि आहरण के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा, बशर्ते कि शासन द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि नहीं की गई हो.

   (iv) वित्तीय संहिता भाग-2 में निर्धारित प्रपत्र 16 तथा 17 क्रमशः में करारनामा एवं बन्धक पत्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित किया जाकर इस विभाग को फोटोप्रतियां भेजी जाय. प्रपत्र में किये गये समस्त सुधार पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित होने चाहिए.

   (v) यदि वाहन का मूल्य अग्रिम की राशि से कम हो तो अवशिष्ट धनराशि तुरंत शासन को वापस कर इस विभाग को सूचित किया जाना चाहिए.

   (vi) क्रय किये गये वाहन का बीमा न केवल स्वामी द्वारा चलित निबंधों पर किया जाय परन्तु समग्र जोखिम हेतु वाहन क्रय की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर बीमा करवाया जाय.

   (vii) अग्रिम की वापसी आहरण से आगामी माह से प्रारंभ की जायेगी तथा मूल अग्रिम शीर्ष . . . . .में जमा किया जायेगा व ब्याज वापसी को शीर्ष . . . . .में जमा किया जायेगा.

   (viii) यदि अग्रिम का आहरण दिनांक . . . . .तक नहीं किया जाता है तो राशि तुरंत समर्पित कर दिया जाय.

   (ix) वाहन क्रय के उपरांत मूल रसीद एवं बीमा पालिसी अपने स्तर से परीक्षण कर इस विभाग को भेजें, जो अवलोकन उपरांत वापस कर दिया जायेगा.

5. उक्त अग्रिम धनराशि का भुगतान मांग संख्या . . . . शीर्ष . . . . .ऋण तथा अग्रिम . . . . स्व-वाहन-सुविधा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

हस्ता.
स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी

प्रतिलिपि:—

(i) महालेखाकार (छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ) ग्वालियर.

(ii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को सूचनार्थ.

(iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी . . . . .कार्यालय . . . . .को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु.

(iv) कोषालय अधिकारी, कोषालय . . . . .को सूचनार्थ.

(v) संबंधित अधिकारी श्री . . . . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

(vi) कार्यालयीन प्रति.

(vii) संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत फोल्डर में रखने हेतु.

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 6-vi)

प्रपत्र-6

(समर्पित अतिशेष वाहनों की पंजी)

सरल क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	समर्पित वाहन का पंजीयन क्रमांक व माडल	समर्पण तिथि को वाहन की आयु	वाहन द्वारा तय की गई दूरी	क्या वाहन अपलेखन योग्य है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

नीलामी हेतु निर्धारित आफसेट प्राईस	स्वीकृत नीलामीकार का नाम	नीलाम की राशि	राशि कोषालय में जमा करने का चालान क्रमांक, दिनांक	अभ्युक्ति
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

"स्व-वाहन-सुविधा योजना"

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-6-2001 पैरा 7.1)

(अप्रैल माह में कार्यालय में देय)

प्रपत्र-7

"स्व-वाहन-सुविधा योजना" के अन्तर्गत वाहन पंजीयन क्रमांक . . . . .मॉडल . . . . .वर्ष . . . . मेरे द्वारा शासकीय कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है तथा वाहन पूरी तरह से चालू हालत में है. वर्ष में मेरे द्वारा स्वयं के वाहन के अलावा पूल वाहन व अन्य शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया है.

स्थान . . . . हस्ताक्षर

दिनांक . . . . नाम अधिकारी . . . .

पदनाम . . . .

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 मई 2001

भू-अर्जन प्र. क्र. 1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बोरे तथा कोसमडीह	0.276	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	किंकामणी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2001

क्रमांक -2 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सिलदहा	17.87	कार्यपालन यंत्री, खारंग संभाग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भैरवा जलाशय के डूब हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2001

क्रमांक 6 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	उमरिया	6.79	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसा. विभाग-बिलासपुर.	रामबोड़ जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (रा.) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 7 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली	3.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मनि. संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 8 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामाकापा	2.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मनि. संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 9 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दुलहीनबाय	0.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मनि. संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 10 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पौनी	8.47	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	हाप व्यपवर्तन (हाप शाखा नहर) योजना के मानपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 11 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कोलिहा	1.56	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	हाप व्यपवर्तन (हाप शाखा नहर) योजना के मानपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 12 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	डोंडा	2.28	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	हाप व्यपवर्तन (हाप शाखा नहर) योजना के मानपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 13 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भीमपुरी	8.21	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	हाप व्यपवर्तन (हाप शाखा नहर) योजना के मानपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	भोण्ड	4.511	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	भोंड जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 4/भू-अर्जन/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़ेडोंगर	0.785	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	बड़ेडोंगर जलाशय क्रमांक 2 की लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 19/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मुंजला	0.983	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	तारागांव तालाब की माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 20/भू-अर्जन/अ-82//93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मुरकुची	0.369	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	विश्रामपुरी तालाब की मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 21/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	तारागांव	0.342	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	तारागांव तालाब की माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 24/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	उपनपाल	3.469	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	भालूगुड़ा उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मई 2001

क्रमांक क/भू अर्जन/13/क/82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	देवरूंग प. ह. नं. 24	10.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कसडोल	गोलाझर जलाशय योजना के अंतर्गत देवरूंग मुख्य नहर एवं माइनर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2001

क्रमांक क/भू अर्जन/13/क/82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	देवरी प. ह. नं. 24	1.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कसडोल	गोलाझर जलाशय योजना के अंतर्गत देवरीपारा मुगुलभाठा मुख्य नहर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदने उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 20 जुलाई 2001

प्र.क्र. 15-अ/82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	रबेली प. ह. नं. 9	0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सिल्हाटी टेल माइनर.

कवर्धा, दिनांक 20 जुलाई 2001

प्र.क्र. 16-अ/82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा पाधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	सूखाताल प. ह. नं. 8	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	बैहरसरी माइनर नं. 5

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भेंड़ी प. ह. नं. 13	48.75	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कोचेरा प. ह. नं. 21	5.47	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भूमि
अत:
द्वारा इ
4 की
5-अ
उसके

भूमि
अत
द्वार
4
5-
उस

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भेंड़ी प. ह. नं. 13	48.75	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कोचेरा प. ह. नं. 21	5.47	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	दुबचेरा प. ह. नं. 21	8.35	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	पापरा प. ह. नं. 20	9.80	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 984/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बुन्देली प. ह. नं. 20	5.82	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.